

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 114 /2025

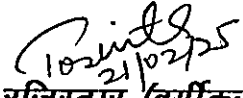
दिनांक :21.02.2025

श्रीमती अंकिता दायमा (RJ01104), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा को दिनांक 03.03.2025 से 12.03.2025 तक 10 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 02.03.2025 एवं 13.03.2025 से 14.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती दायमा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/92/2016/ 1613

दिनांक :21.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 2381 दिनांक 20.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अंकिता दायमा (RJ01104), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा।


सहायक रजिस्ट्रार